BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st July 2017 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

देश के 14वें राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द

महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द को बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का हार्दिक अभिनन्दन।

– पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द (बायें से दूसरे)।

महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द जी कई अवसरों पर तत्कालीन राज्यपाल, बिहार के रूप में कृपापूर्वक चैम्बर में पधार चुके हैं। विगत 11 मार्च 2017 को चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में महामहिम श्री राम नाथ कोविन्द जी पधारे थे और सदस्यों को होली की शुभकानाएँ दीं थी। उस अवसर की कुछ तसवीरें :-

समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द के साथ बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द। दाँयीं ओर श्री राधेश्याम बंसल, श्री अभिजीत कश्यप, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

यह हम सब के लिये अत्यन्त हर्ष का विषय है कि महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राम नाथ कोविन्द जी देश के 14वें राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं। बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।

यह भी हर्ष का विषय है कि पुनः राज्य में नया मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। पूरी उम्मीद है कि पुनः राज्य में विकास की गति तीव्र होगी क्योंकि केन्द्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बन गई है। जिस प्रकार झारखंड में उद्योग-धंधों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से फंड मिलता है, उसी तरह अब बिहार को भी मिलेगा। यह बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ केन्द्र सरकार को बिहार में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

जैसी उम्मीद थी जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया। चैम्बर ने जीएसटी पर कई जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री विजेन्द्र यादव जी, वाणिज्य-कर की प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव श्री अरूण मिश्रा, जीएसटीएन उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण सिंह तथा जीएसटी के कई विशेषज्ञों ने चैम्बर के सदस्यों एवं व्यवसायियों की शंकाओं का समाधान किया है। यह प्रक्रिया चैम्बर तब तक जारी रखेगा जब तक जीएसटी से व्यवसायीगण पूर्णतः दक्ष न हो जायें।

बिहार एवं झारखण्ड के आयकर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के0 सी0 घुमरिया, भा0रा0से0 27 जुलाई, 2017 को चैम्बर में पधारे थे। उन्होंने इनकम टैक्स के बारे कई अहम जानकारियाँ देते हुये आने वाली पीढ़ी को भी इस सम्बन्ध में जागरूक करने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर कई वरीय आयकर आयुक्त/पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

तत्कालीन राज्यपाल बिहार महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द से विचार-विमर्श करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

राजस्थानी नृत्य एवं गीत का लुत्फ उठाते तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं दाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

राजस्थानी नृत्य एवं गीत का आनन्द उठाते तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द। बाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजेश जैन एवं अन्य।

महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द, तत्कालीन राज्यपाल, बिहार के बाँयी ओर क्रमशः तत्कालीन महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो एवं चैम्बर के लाइब्रेरी एण्ड बुलेटिन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद।

बिहार सरकार का नया मंत्रिमंडल

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी।

मुख्यमंत्री/मंत्री का नाम		विभाग/विभागों के नाम
श्री नीतीश कुमार, मुख्य मंत्री	:	सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सूचना एवं जनसम्पर्क, विधि, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं।
श्री सुशील कुमार मोदी	:	उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, सूचना प्रावैधिकी
श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	:	ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
श्री प्रेम कुमार	:	कृषि
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिह	:	जल संसाधन योजना एवं विकास
श्री नंद किशोर यादव	:	पथ निर्माण
श्री श्रवण कुमार	:	ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य
श्री राम नारायण मंडल	:	राजस्व एवं भूमि सुधार
श्री जय कुमार सिंह	:	उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
श्री मंगल पाण्डेय	:	स्वास्थ्य
श्री प्रमोद कुमार	:	पर्यटन
श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा	:	शिक्षा
श्री महेश्वर हजारी	:	भवन निर्माण
श्री विनोद नारायण झा	:	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण
श्री शैलेश कुमार	:	ग्रामीण कार्य
श्री सुरेश कुमार शर्मा	:	नगर विकास एवं आवास
श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा	:	समाज कल्याण
श्री विजय कुमार सिन्हा	:	श्रम संसाधन
श्री संतोष कुमार निराला	:	परिवहन
श्री राणा रणधीर सिंह	:	सहकारिता
श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद	:	अल्पसंख्यक कल्याण गन्ना उद्योग
श्री विनोद कुमार सिंह	:	खान एवं भूतत्व
श्री मदन सहनी	:	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
श्री कृष्ण कुमार ऋषि	:	कला, संस्कृति एवं युवा
श्री कपिल देव कामत	:	पंचायती राज
श्री दिनेश चन्द्र यादव	:	लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन
श्री रमेश ऋषिदेव	:	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
श्री ब्रज किशोर बिन्द	:	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण
श्री पशुपति कुमार पारस	:	पशु एवं मत्स्य संसाधन

व्यवसायियों में आर्थिक विकास की जगी उम्मीद

चैम्बर ने नीतीश-मोदी को दी बधाई

बिहार के इंडस्ट्रीज और व्यवसायिक घरानों ने नई सरकार का स्वागत किया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि श्री नीतीश और श्री सुशील मोदी जी दोनों बिहार में इंडस्ट्रीज के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। ऐसे में यह नया राजनीतिक समीकरण राज्य के हक में है। राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को पूर्ण विश्वास है कि अब बिहार का आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.7.2017)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में दैनिक भास्कर के जीएसटी नॉलेज सेमिनार में बोले ऊर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव

जीएसटी से उपभोक्ता और व्यवसायी दोनों को फायदा, व्यापार करना होगा आसान, जन उपयोग की वस्तुएँ भी हो जाएँगी सस्ती

जीएसटी नॉलेज सेमिनार में मौजूद चैम्बर के प्रोसिडेंट पी. के अग्रवाल, अपर सचिव वाणिज्य कर अरुण कुमार मिश्रा, ऊर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य वक्ता सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव और एडवोकेट सुनील सर्राफ।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते ऊर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, चैम्बर प्रेसिडेंट पी. के. अग्रवाल, अपर सचिव वाणिज्य-कर अरूण कुमार मिश्रा, सी.ए. धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट सुनील सरॉफ, दैनिक भास्कर के सीओओ (बिहार-झारखण्ड) सौरेन्द्र चटर्जी और फाइनांस हेड केदार प्रसाद सिंघल।

सभागार में उपस्थित व्यवसायीगण एवं अधिकारीगण।

ऊर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से जन उपयोगी वस्तुएँ सस्ती होंगी। व्यापार करना भी आसान होगा। इसका फायदा उपभोक्ता और व्यवसायी दोनों को मिलेगा। पहले एक वस्तु पर कई तरह के कर लगते थे। लेकिन अब केवल जीएसटी पूरे देश में लगेगा। गुरुवार 13 जुलाई 2017 को मंत्री जी दैनिक भास्कर द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में आयोजित जीएसटी नॉलेज सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी पारदर्शी कर व्यवस्था है। इसमें सभी काम ऑनलाइन होंगे। अफसरशाही में कमी आएगी। आमलोगों के रहन-सहन में सुधार हुआ है। 11 करोड़ वाले इस राज्य में महज 1 लाख लोग ही कर देते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर के सीओओ सौरेन्द्र चटर्जी ने कहा कि दैनिक भास्कर हमेशा सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करता रहता है। कार्यक्रम के मॉडरेटर एडवोकेट सुनील सर्राफ थे।

थोड़ी-बहुत परेशानी तो नई व्यवस्था लागू होने से आती है : मंत्री जी ने कहा कि जब कोई भी नई व्यवस्था लागू होती है, थोड़ी-बहुत परेशानी आती रहती है। इससे दूर करने का प्रयास हो रहा है। राज्य में वाणिज्य कर विभाग के सभी अंचलों में सुविधा केन्द्र बनाए गए हैं, जहाँ व्यवसायियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर कानून इतना उलझा हुआ था कि लोग कर देने से बचते रहते थे। जीएसटी से ये उलझनें खत्म हो गई हैं। अब व्यवसायियों को दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

छोटे कारोबारियों को एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य नहीं : जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी के सदस्य और वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि हार्मोनाइज्डसिस्टमेटिक नोमेन क्लैचर (एचएसएन कोड) को लेकर व्यवसायी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय मापदंड पर आधारित वस्तुओं का नोमेन क्लैचर है। जिसका उल्लेख वस्तुओं के बिल बनाने के समय किया जाता है। छोटे कारोबारी जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें एचएसएन कोड लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन, जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, उन्हें सिर्फ दो डिजिट का ही एचएसएन कोड लिखना होगा। जबकि, उसके ऊपर के व्यापारियों को चार डिजिट का कोड लिखना होगा।

... तो मिलेगा केवल 40 फीसदी डीम्ड क्रेडिट : एक्साइज इनपुट क्रेडिट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अपर सचिव ने कहा कि जिन व्यवसायियों के पास एक्साइज ड्यूटी भुगतान का बिल नहीं है, उन्हें डीम्ड क्रेडिट के रूप में 40 फीसदी ही इनपुट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जिनके पास ड्यूटी भुगतान का दस्तावेज है, उन्हें 60 फीसदी आईटीसी मिलेगा। मिश्रा ने सेमिनार में व्यवसायियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया।

लाभ आम उपभोक्ता को नहीं दिया तो फंसेंगे कानूनी पचड़े में

अरुण मिश्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने से अधिकांश वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। इसका लाभ कारोबारियों को आम उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा। इसकी निगरानी के लिए एंटी प्रोफेटिंग कानून बनाया गया है। अगर कोई भ्रम फैला कर अधिक कीमत लेता है या कम कर का लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है, तो वे कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। पहले अधिकांश वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, जो करीब 12 फीसदी होता था और उन वस्तुओं पर सेंट्रल सेल टैक्स और वैट भी लगता था। लेकिन इन करों को कम करके केवल एक टैक्स कर दिया गया है।

रिवर्स चार्ज में 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा : जीएसटी काउंसिल के सदस्य और भास्कर नॉलेज सीरीज के मुख्य वक्ता सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड व्यवसायी माल भाड़े को अपने बुक्स में डेबिट करते हैं, उन्हें रिवर्स चार्ज में 5 फीसदी जीएसटी भुगतान करना पड़ेगा। एक ही बिल में यदि एक से ज्यादा स्लैब (यानी 5%, 12%, 18% और 28%) का सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो ट्रांसपोर्ट भाड़े पर समानुपातिक जीएसटी लगेगा। अगर कोई कारोबारी राज्य से बाहर सामान बेचते हैं, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। राज्य के भीतर सामान बेचने पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा।

बिहार में भी ईबे बिल की अनिवार्यता खत्म करें : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि झारखंड, यूपी समेत देश के सभी राज्यों ने माल मंगवाने के लिए ईबे-बिल की अनिवार्यता खत्म कर दी है। केवल बिहार में ही इसे लागू किया गया है। व्यवसायियों ने वाणिज्य कर मंत्री से मांग की कि बिहार में इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी जाए। अपर सचिव मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 हजार रुपए पर लगाने वाले ईबे-बिल की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया है। बिहार ड्रग टेडर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने भी इसे खत्म करने की माँग की। चैम्बर के गणेश कुमार खेमका, बीसीडीए के परसन कुमार सिंह समेत कई लोगों ने सवाल किये। सेमिनार मे सीए राजेश खेतान, सीए आशीष कुमार अग्रवाल, आलोक पोद्दार, एडवोकेट संजय पांडेय समेत कई लोगों ने भास्कर से अपने विचार साझा किए।

सेमिनार में ये बातें आईं सामने : • 18 सेक्टर से संबंधित फैक (फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेशचन) एंड गाइडेंस नोट शीघ्र होगा जारी, क्योंकि कई जगह उलझन है। • टैक्स का दायरा बढ़ेगा, बोझ नहीं। बिहार को फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी का केन्द्र बिंदु प्लेस ऑफ सप्लाई है। और बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। • इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 12 महीने का समय है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं। एक्साइज बिल जरूरी है। • अनरजिस्टर्ड ट्रेडर से खरीद पर रिवर्स चार्ज लगेगा। • जीएसटी पोर्टल में माइग्रेशन की बाधा खत्म। 30 जून के बाद के आंकड़े वैट सिस्टम में नहीं।

व्यवसायियों के सवाल, एक्सपर्ट के जवाब

• **नाला रोड में मेरी छोटी सी दुकान है। जीएसटी के चक्कर में तो बंद हो जाएगी।**
– महेश कुमार सर्राफ

– जीएसटी पंजीकरण में प्लेस ऑफ बिजनेस का जिक्र करना जरूरी है। अगर दुकान खानदानी है और आपके पास उसकी किरायेदारी का एग्रीमेंट पेपर नहीं है, तो डायरेक्ट पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक एफिडेविट कराना होगा और उसे डॉक्यूमेंट के तौर पर जीएसटीएन पर अपलोड करना होगा।

• **रिवर्स चार्ज पर टैक्स कैसे देना है।**
– विजय कुमार गुप्ता, ज्वेलरी व्यवसायी

– रजिस्टर्ड व्यवसायी जब भी माल बेचें, इन्वायस जेनरेट करें। इसी आधार पर इसका गणन होगा।

• **क्या हम कपड़ा व्यापारी को जीएसटी से छूट नहीं मिल सकती।**
– सुमित अग्रवाल, राजधानी मार्केट

– कपड़ा व्यापारियों को अगर टैक्स में छूट मिली तो फिर अन्य व्यवसाय वालों को भी मिलनी चाहिए। जीएसटी में कपड़ा व्यापारियों को कई तरह की राहत दी गई है। उसका इस्तेमाल करें। परन्तु टैक्स के दायरे में आने से बचने के लिए ऐसी मांग सही नहीं।

• **रिटर्न बार-बार भरने में मुश्किल होगी।**
– अनिल कुमार, कंकड़बाग

– पहले एक सर्विस प्रोवाइडर को साल में दो रिटर्न भरने होते थे। वैट में रजिस्टर्ड व्यवसायी को 17 और एक्साइज में रजिस्टर्ड व्यवसायी को 12 रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे। अब जीएसटी में रजिस्टर्ड हर व्यवसायी को 37 रिटर्न भरने होंगे। कुछ परेशानी सर्विस टैक्स वालों को कंपाउंडिंग स्कीम को लेकर है। उन्हें यह स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यह स्कीम केवल ट्रेडिंग और मैन्यूफेक्चरर के लिए ही है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 14.7.2017)**

चैम्बर में जीएसटी पर वाणिज्य-कर विभाग के साथ पारस्परिक संवाद आयोजित

जीएसटी के संबंधित समस्याओं के लिए शुरू होगा विशेष इमेल बॉक्स : आयुक्त

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्यकर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा तथा दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

वाणिज्य कर विभाग जल्द ही व्यवसायियों के लिए एक विशेष इमेल बॉक्स शुरू करेगा, जिसमें कारोबारियों के जीएसटी से संबंधित समस्याओं के बारे में उत्तर दिया जायेगा। ये बातें वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने मंगलवार 18 जुलाई 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। जीएसटी पर एक पारस्परिक संवाद में उन्होंने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि जीएसटी के संबंधित समस्याओं के लिए वे एक विशेष इमेल बॉक्स चालू करेंगी, जिस पर व्यवसायियों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर मिलेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि सेक्टर वाइज प्रश्न आयेंगे तो दैनिक अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से उत्तर दिया जायेगा, जिससे कि उस सेक्टर के सभी लोग लाभान्वित हों। चैम्बर के साथ

हर माह में दो-बार बैठक होगी। उन्होंने चैम्बर से अनुरोध किया कि राज्य के ऐसे छोटे-छोटे स्थानों की सूची बनाकर दें जहाँ पर व्यवसायी जीएसटी से अवगत नहीं हैं। वहाँ विभाग के लोग जाकर प्रशिक्षण देंगे एवं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

संवाद के दौरान राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी लागू होने के बाद आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यान दिलाया। विभाग की ओर से प्रश्नों का एक-एक कर उत्तर दिया गया।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत काफी संख्या में सदस्यों द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसी को देखते हुए एवं उनके समाधान के लिए वाणिज्यकर विभाग के साथ एक पारस्परिक संवाद का आयोजन का निर्णय चैम्बर द्वारा लिया गया जिससे कि व्यवसाय में सहजता हो।

संवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के साथ छपरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आरा, बिहार केमिस्टस एण्ड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पटना केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, गारमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, बिहार पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, पटना ऑप्टिशियन एसोसिएशन, खेतान सुपर मार्केट ऑनर्स एसोसिएशन, पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ, पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन, पटना इलेक्ट्रीक ट्रेडर्स एसोसिएशन, पाटलिपुत्र व्यवसायी संघ, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ, हथुआ मार्केट व्यवसायी समिति, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेडीमेड गार्मेन्टस एसोसिएशन, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, बिहार टी ट्रेडर्स एसोसिएशन, बिहार स्टील मैन्यूफैकचरर्स एसोसिएशन, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संबंधित व्यवसाय के लोगों की समस्याओं को वाणिज्य -कर विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष रखा।

संवाद कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश जैन, महामंत्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, बिहार केमिस्टस एण्ड ड्रगिस्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष पी. के. सिंह आदि मौजूद थे। **(साभार : प्रभात खबर, 19.7.2017)**

जीएसटीएन अनिवार्य : शशिभूषण

चैम्बर द्वारा जीएसटी पर परिचर्चा का आयोजन

कार्यक्रम को संबोधित करते जी एस. टी. एन. के उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण। उनकी दाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। बाँयीं ओर जीएसटी उपसमिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी, जीएसटी उपसमिति के सह संयोजक श्री आलोक पोद्दार एवं सीए श्री राजेश खेतान।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर रविवार 2 जुलाई 2017 को एक परिचर्चा का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया। परिचर्चा के दौरान जीएसटीएन के उपाध्यक्ष (सर्विसेज) शशि भूषण सिंह ने राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को जीएसटी के अद्यतन प्रावधानों से अवगत कराया।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि पूरे देश में लागू वस्तु एवं सेवाकर के संबंध में चैम्बर ने पिछले कई माह से प्रयास किया है कि राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी नयी कर प्रणाली से अवगत हो। इसके लिए कार्यशाला, संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया है, जिससे कि दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवसायियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जीएसटीएन के उपाध्यक्ष सर्विसेज शशि भूषण सिंह ने उद्यमियों एवं व्यवसायियों को जीएसटीएन में किस प्रकार से पंजीयन करना है, किस प्रकार से रिटर्न फाइल करना है, भुगतान की क्या-क्या प्रक्रियाएं हैं एवं ट्रांजिशनल मुद्दों के बारे में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

परिचर्चा में व्यवसायियों ने जवाब-सवाल सत्र के दौरान जीएसटी में मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट, राज्य के बाहर से माल मंगाने एवं भेजने, निबंधित व्यवसायी से अनिबंधित व्यवसायियों को बेचे जानेवाले वस्तुएँ से संबंधित जो आशंकाएँ थी उससे सिंह को अवगत कराया। सिंह ने सभी व्यवसायियों को एक-एक कर जवाब दिया।

मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, आलोक पोद्दार, नवीन कुमार मोटानी, राजेश कुमार खेतान, सुनील सर्राफ, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, ए. के. पी. सिन्हा, पशुपति नाथ पांडेय, सुबोध कुमार जैन आदि मौजूद थे। **(साभार : प्रभात खबर, 3.7.2017)**

चैम्बर में वस्तु एवं सेवा कर पर परिचर्चा

50 हजार से ऊपर की बिलिंग पर प्लेस ऑफ सप्लाई जरूरी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद पचास हजार से ऊपर की बिक्री करने पर बिलिंग में आपूर्ति वाले स्थान का नाम देना जरूरी है। बीस लाख से ऊपर का किराया से कमाई कर रहे हैं तो भी जीएसटी लागू होगा।

बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर परिसर में मंगलवार दिनांक 11 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा-कर (जीएसटी) पर आयोजित परिचर्चा में जीएसटी के विशेषज्ञों ने उद्यमियों और व्यवासायियों की शंकाओं का निवारण करते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान विशेषज्ञों की टीम ने राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की जीएसटी लागू होने के बाद हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को सुना एवं समाधान से अवगत कराया। परिचर्चा में उद्यमियों, व्यवसायियों के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के

परिचर्चा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर क्रमशः सीए मनीष मशी, सीए राजेश खेतान एवं एडवोकेट श्री सुनील सराफ। दाँयीं ओर महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जीएसटी एक्सपर्ट टीम में मनीष मशी, पंकज मोर, नीरज लाल, राजेश खेतान, सुनील सर्राफ, नवीन कुमार मोटानी, आलोक कुमार पोद्दार और मनोज डालमिया शामिल थे।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को जानना एवं एक्सपर्ट द्वारा समाधान कराने के साथ समस्याओं को संग्रह करना भी था। उनके अनुसार 18 जुलाई को वाणिज्य कर विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ चैम्बर में एक बैठक होगी। जीएसटी से संबंधित तमाम शंकाओं का निवारण आगामी बैठक में करने की कोशिश की जाएगी। विभाग के अधिकारियों को इस बाबत जीएसटी से संबंधित तमाम समस्याओं को संग्रह करके अग्रिम रूप से विभाग को भेजा जाएगा ताकि वाणिज्य-कर विभाग के साथ होनेवाली बैठक में उसका समाधान हो सके। परिचर्चा के दौरान टेल्कम, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित तमाम व्यवसाय से संबंधित सवाल एक्सपर्ट से पूछे गए। ज्यादातर व्यवसायियों ने जीएसटी में मिलनेवाले इनपुट टैक्स क्रेडिट, निबंधित व्यवसायी से अनिबंधित व्यवसायियों को बेचे जानेवाले वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों के संबंध में आशंकाओं से अवगत कराया। सवाले पूछने वालों में बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन के पी. के. सिंह, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अभिजीत कश्यप, विनोद कुमार आदि शामिल थे। कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल ने भी विचार रखे। महामंत्री शशि मोहन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.7.2017)

आयकर के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी : घुमरिया

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से दिनांक 26.07.2017 को चैम्बर प्रांगण में आयकर विभाग में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के. सी. घुमरिया का राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की और से स्वागत किया गया। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अपने स्वागत उदबोधन में कहा कि चैम्बर की यह परम्परा रही है कि जब भी आयकर विभाग के सर्वोच्च पद पर जो भी अधिकारी आते हैं उनके साथ पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें से प्रथम)। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के. सी. घुमरिया, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सेंट्रल) श्री बी. बी. सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त श्री सौभिक गुहा, आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण, आयकर आयुक्त श्री सुब्रत सरकार, आयकर आयुक्त श्री संजय शिवम।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के. सी. धुमरिया। दाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान।

श्री अग्रवाल ने बताया कि गत दो वर्षों से बिहार एवं झारखण्ड को मिलाकर आयकर के संग्रह में वृद्धि होती आयी है। जहाँ वितीय वर्ष 2015-16 में कुल आयकर संग्रह 9100 करोड़ के लगभग था, वहाँ वर्ष 2016-17 में कुल संग्रह 11200 करोड़ हुआ है जबकि, पुनरीक्षित आकलन 10000 करोड़ का था यानी अनुमानित लक्ष्य से अधिक का आयकर संग्रह हुआ है उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग-धंधे की कमी है। यह केवल आयात करनेवाला राज्य है। यहाँ बिजनेस के नाम पर केवल ट्रेडिंग है। इसलिए आयकर संग्रह में जो वृद्धि हुई है वह प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के सी घुमरिया ने चैम्बर में उन्हें आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयकर संबंधी विषयों से अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे अधिकाधिक लोग आयकर का भुगतान कर देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकें। इसके पूर्व श्री सौभीक गुहा प्रधान आयकर आयुक्त एवं बी. बी. सिंह ने आयकर की महत्ता एवं उसके प्रावधानें के संबंध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के छोटे-छोटे व्यवसायियों को आयकर सेवा केन्द्र का लाभ उठाना चाहिए और किसी प्रकार की असुविधा हो तो उनसे सम्पके करें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग सभी से अच्छा संबंध रखने का प्रयास करेगा।

कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों यथा भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आरा, बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पटना केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं पी. एच. डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि संगठनो के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं आयकर संबंधी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री शशि मोहन ने किया। **(साभार : आज, 17.7.2017)**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी बने ऐतिहासिक पल जीएसटी लॉंचिंग के साक्षी

मध्य रात्रि को संसद भवन में ऐतिहासिक जीएसटी के लॉंचिंग कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के अवलोकन के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में शुक्रवार 30 जून 2017 को सीनियर उद्यमी और युवा व्यवसायी जुटे। इसके लिए चैम्बर प्रांगण में टी. वी. लगाया गया था। इस मौके पर उद्यमी और व्यवसायियों में उत्साह देखते बन रहा था। इनका कहना था कि आजादी के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हम लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। लोगों के जेहन में एक ही बात बार-बार आ रही थी कि कब रात के 12 बजेंगे। इसे लेकर लोगों में बेचैनी दिखी। इस बीच बार-बार टीवी चैनल बदल रहे थे। सब देख रहे थे कि कौन-सा चैनल अच्छा कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। 12 बजे जैसे ही राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने बेल बजायी, वैसे ही चैम्बर का प्रांगण तालियों से गूंज उठा और एक-दूसरे से हाथ मिला कर बधाई दी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में एक साथ जीएसटी लॉंचिंग का सीधा प्रसारण देखते चैम्बर के अधिकारी एवं सदस्यगण।

इस मौके पर चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, महामंत्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल के साथ-साथ चैम्बर के वैट सब कमिटी के संयोजक नवीन कुमार मोटानी एवं सह संयोजक आलोक कुमार पोद्दार राजेश कुमार खेतान, डॉ रमेश गाँधी, गणेश खेतड़ीवाल आदि व्यवसायी मौजूद थे। चैम्बर अध्याक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाना एवं नयी कर प्रणाली का स्वागत करना है। **(साभार : प्रभात खबर, 1.7.2017)**

तकनीक आधारित कर है जीएसटी

• केन्द्रीय उत्पाद विभाग में जीएसटी दिवस समारोह आयोजित • अधिकारियों की भूमिका सेवा प्रदाता की हो गयी

केन्द्रीय जीएसटी राँची प्रक्षेत्र के मुख्य आयुक्त शिवनारायण सिंह ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित कर है। इसका बैकबोन जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) है, जिसे तकनीकी विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया है। जीएसटी की सफलता के बाद यह विश्व की आधुनिकतम मॉडल तकनीक आधारित टैक्स के रूप में जाना जाएगा।

श्री सिह शनिवार दिनांक 1जुलाई 2017 को केन्द्रीय उत्पाद कर मुख्यालय में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग की ओर से आयोजित 'जीएसटी दिवस' समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार, झारखंड व उत्तर

प्रदेश में जीएसटी को लेकर होने वाली किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर तत्काल किया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के सभी कार्यालय सुविधा केन्द्र के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अधिकारियों की भूमिका सेवा प्रदाता की हो गयी है। बिहार-झारखंड के आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त के. सी. घुमरिया ने कहा कि जीएसटी लागू होना भारत के आर्थिक विकास के नए युग का आरंभ है। इससे देश की आय बढ़ेगी। वहीं जीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार ने कहा कि जिन व्यवसायियों को जीएसटी निबंधन के औपबंधिक नंबर दिए गए हैं वे उसे स्थायी नंबर में परिवर्तित करा सकते हैं। समारोह में कस्टम आयुक्त वी. सी. गुप्ता, वाणिज्य कर विभाग के उप आयुक्त मार्कण्डेय ओझा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल एवं राम लाल खेतान भी उपस्थित थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.7.2017)

समारोह का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उनकी बाँयीं तरफ क्रमशः सेन्ट्रल जीएसटी, राँची प्रक्षेत्र के मुख्य आयुक्त श्री शिव नारायण सिंह, जी एस टी आयुक्त श्री रंजीत कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री के. सी. घुमरिया एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री राम लाल खेतान।

चैम्बर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक को भावभीनी विदाई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजित सूद (बाँये से पाँचवें) को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल। साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, जीएसटी उपसमिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 29 जुलाई, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना के मुख्य महा प्रबन्धक श्री अजित सूद को उनके स्थानांतरण के आलोक में उन्हें भावभीनी विदाई दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्री सूद को पुष्पगुच्छ, शॉल एवं चैम्बर का मेमेन्टों देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी भी उपस्थित थे। मुख्य महा प्रबन्धक श्री अजित सूद ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिये गये सम्मान हेतु आभार व्यक्त किया।

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेहन्दी प्रशिक्षण शुरू

कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी और उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। बाँयीं और श्री एम. पी. जैन एवं आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की डॉ. गीता जैन। साथ में मेंहदी का नमूना दिखाती प्रशिक्षु महिलाएँ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेहन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2017 से हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में सहायक होगा। यहाँ प्रशिक्षण पाकर महिलाएँ अपना स्वरोजगार कर सकेंगी।

उन्होंने बताया कि चैम्बर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत 2014 से सिलाई-कढ़ाई एवं कम्प्यूटर का नि: शुल्क प्रशिक्षण महिलाओं को दे रहा है। उसी के तहत आज से यहाँ मेहंदी कला का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया है। महिलाओं और युवतियों को मेहन्दी कला का प्रशिक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य आज की युवतियों में भारतीय कला मेहन्दी के प्रति रुझान पैदा करना है जिससे कि यह भारतीय कला और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन में मेहन्दी कला में प्रशिक्षित महिलाओं का काफी अभाव हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा युवतियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने से बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो पाएगा।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर और मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश प्रकाश गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम में आधार महिला स्वावलंबी सहकारी समिति की डॉ. गीता जैन और एम. पी. जैन के साथ-साथ काफी संख्या में मेहन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं युवतियों ने भी भाग लिया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 22.7.2017)**

चैम्बर ने सिलाई मशीन प्रदान कराया, रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा द्वारा

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से सिलाई प्रशिक्षित आर्थिक रूप से काफी कमजोर तीन महिलाओं श्रीमती ज्योति देवी, सुश्री निभा कुमारी एवं सुश्री साक्षी कुमारी को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की अनुशंसा पर रोटरी पाटलिपुत्रा की ओर से उनके 44वें स्थापना दिवस दिनांक 16 जुलाई, 2017 के अवसर पर सिलाई मशीन प्रदान किया गया ताकि ये प्रशिक्षित महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और अपना जीवन यापन कर सकें।

श्रीमती ज्योति देवी को सिलाई मशीन प्रदान करते रोटरी (बिहार-झारखण्ड) के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री विवेक कुमार। उनकी दायीं और रोटरी पाटलीपुत्रा के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल।

सुश्री साक्षी कुमारी को सिलाई मशीन प्रदान करते रोटरी (बिहार-झारखण्ड) के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री विवेक कुमार, रोटरी पाटलीपुत्रा के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल एवं सचिव श्री अनिल रिटोलिया तथा रोटरी बिहार-झारखण्ड की प्रथम महिला श्रीमती वर्षा झुनझुनवाला (दाँयें से प्रथम)

सुश्री निभा कुमारी को सिलाई मशीन प्रदान करते रोटरी (बिहार-झारखण्ड) के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री विवेक कुमार, रोटरी पाटलीपुत्रा के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल एवं सचिव श्री अनिल रिटोलिया तथा रोटरी (बिहार-झारखण्ड) की प्रथम महिला श्रीमती वर्षा झुनझुनवाला (दाँयें से प्रथम)

सिक्का स्वीकार करने के विशेष उपाय हों : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआइ) ने पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बैंक द्वारा व्यवसायियों से सिक्के स्वीकार नहीं करना या इसके लिए कुछ शर्त लगाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा है कि व्यवसायियों के पास बड़ी संख्या में सिक्के जमा हो गए हैं। बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने से उनके लिए आगे व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि समस्या की गंभीरता के मद्देनजर चैम्बर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर को पत्र लिखकर इसके समाधान के लिए विशेष उपाय करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि व्यवसायियों ने भी सिक्का लेना बंद कर दिया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। आरा में व्यवसायियों के 20 जुलाई के प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि समस्या का हल नहीं निकलने पर अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है जो व्यवसाय हित में नहीं होगा। उन्होंने एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक से भी आग्रह किया है कि शिविर लगाकर सिक्के लिए जाएँ। **(साभार : हिन्दुस्तान, 23.7.2017)**

देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक होंगे, विलय से बनेंगे 3-4 विश्वस्तरीय बैंक

आने वाले दिनों में देश में 10-12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। अभी सरकारी नियंत्रण वाले 21 बैंक हैं। इनके विलय पर काम चल रहा है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आकार के हिसाब से बैंकों के तीन स्तर होंगे। एसबीआई के बराबर 3-4 बड़े बैंक होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक और आंध्रा बैंक जैसे क्षेत्र विशेष में मजबूत बैंक होंगे। इन दोनों के बीच मध्यम आकार के बैंक रहेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले महीने कहा था कि सरकारी बैंकों के विलय पर 'सक्रिय' रूप से काम हो रहा है। उन्होंने ज्यादा खुलासा नहीं किया। ज्यादातर बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। ऐसी सूचनाओं से शेयरों की कीमतें प्रभावित होती हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा, 'सिस्टम में वैरायटी चाहिए। कुछ बड़े बैंक, कुछ छोटे बैंक और कुछ स्थानीय बैंक हों।'

एसबीआई की तरह एक और विलय प्रस्ताव को इस साल मंजूरी मिल सकती है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक अधिग्रहण के प्रस्ताव दे सकते हैं। 1 अप्रैल को एसबीआई में इसके 5 सहयोगी बैंकों और महिला बैंक का विलय हुआ था। इसके बाद एसबीआई दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में शुमार हो गया है। विलय के बाद इसकी जमा राशि 26 लाख करोड़ और कर्ज 18.50 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.7.2017)

राज्यों के लिए जल्द आएगा लॉजिस्टिक संकेतक

भारत में जल्द ही राज्यों के लिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक होगा, जैसा कि विश्व बैंक ने देशों के लिए बनाया है। सरकार ने संकेतकों की डिजाइन तैयार करने के लिए डेलॉयट को काम सौंपा है, जिसके आधार पर राज्यों की रेटिंग की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने सलाहकार फर्म से कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आयात व निर्यात के कार्गो की सुविधा के आधार पर राज्यों के मानक तैयार करे। प्रदर्शन के आकलन में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के इंतजाम करने, गुणवत्ता, लागत, दक्षता व समय जैसे मानकों की तुलना की जाएगी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.7.2017)

प्रॉपर्टी निबंधन भी होगा आधार से लिंक

निबंधन महकमा इन दिनों बेनामी संपत्ति पर नकेल को एक बड़े सिस्टम को लागू किए जाने की तैयारी कर रहा है। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों निबंधन महकमे को यह पत्र लिखा था कि वह जमीन व फ्लैट के निबंधन दस्तावेजों के साथ क्रेता और विक्रेता दोनों के आधार नंबर को डाले। इसे अनिवार्य किया जाए।

अगर क्रेता और बिक्रेता के पास आधार कार्ड नहीं है तो निबंधन कार्यालय में ही यह व्यवस्था की जाए कि वहाँ उसका आधार नंबर जेनरेट कर उसे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते से लिंक कर दिया जाए।

इस तरह काम करेगा सिस्टम : इस नए सिस्टम से संबद्ध निबंधन महकमे के अधिकारी ने बताया कि फ्लैट और जमीन के निबंधन का जो दस्तावेज तैयार होगा उसके डाक्यूमेंट पर ही क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड नंबर होगा। संबधित निबंधक इसकी जाँच करेंगे। अगर डाक्यूमेंट पर आधार कार्ड का जिक्र नहीं होगा तो निबंधन नहीं हो सकेगा। आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी दस्तावेज के साथ लगेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 21.7.2017)**

भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800001, बिहार

cepcpatna@rbi.org.in

सार्वजनिक सूचना

नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ बैंक शाखायें जनसाधारण को गंदे/ कटे-फटे व त्रुटिपूर्ण नोटों का विनिमय करने की सेवा नहीं प्रदान कर रहें हैं। यह भी जानकारी में लाया गया है कि कुछेक बैंक शाखायें जनता से लेनदेन या विनिमय में सिक्के या छोटे को स्वीकार नहीं कर रही हैं।

सर्वसाधारण को जानकारी में लाया जाता है कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी बैंकों की सभी शाखाओं को निर्देश है कि वे गंदे/कटे-फटे/ त्रुटिपूर्ण नोटों का विनियम करें तथा आम जनता से लेनदेन या विनिमय में सिक्कों और नोटों को स्वीकार करें।

यदि कोई बैंक की शाखा गंदे/कटे-फटे/त्रुटिपूर्ण नोटों का विनिमय नहीं करती है या विनिमय में सिक्कें या छोटे नोटों का स्वीकार नहीं करती है तो इसकी शिकायत भारतीय रिज़र्व बैंक को की जा सकती है। जनसाधारण अपनी शिकायत निम्नलिखित ई-मेल पर दर्ज कर सकते हैं:-

cepcpatna@rbi.org.in

इसे जनहित में जारी किया जाता है।

(ने. प्र. तोपना)
क्षेत्रीय निदेशक (बिहार)

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.7.2017)

बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक 948 / पटना, दिनांक 10.7.2017
संचिका सं. 4 तक. / मु. मं. सचि. (ज. शि.) - 33/2017

प्रेषक,
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,
श्री पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेम चन्द चौधरी मार्ग, पटना - 800001

विषय : जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाईप लाईन परियोजना का विस्तार बिहार के अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों में करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : मुख्यमंत्री सचिवालय संदर्भ सं.- 00001240041700 83

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि गेल (इण्डिया) लि. द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसकी मुख्य पाईप लाईन बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया से गुजरेगी तथा गया से एक ब्रॉंच लाईन पटना, नालन्दा, लक्खीसराय, शेखपुरा एवं बेगुसराय होते हुए बरौनी तक जाएगी साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक ब्रॉंच लाईन आवश्यकतानुसार एवं आर्थिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए इसे पटना एवं अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में प्राकृतिक गैस पाईप लाईन वर्ष 2018 तक बरौनी उर्वरक कारखाना, बरौनी पहुँचाने की योजना है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन
ह/-
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

अफवाहों पर ध्यान न दें, व्यापारी जीएसटी से निबंधित हों या नहीं, किसी भी तरह के सामान को खरीदने पर रोक नहीं

जीएसटी आयुक्त कार्यालय पटना के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि गैर निबंधित व्यापारी से सामान खरीदने पर रोक है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि ऐसी सूचना कोरी अफवाह है। नियम के तहत किसी भी व्यापारी या उद्यमी को एक निबंधित व्यापारी से ही सामान खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी सामान एक अनिबंधित व्यापारी या फर्म से खरीदने में कोई रोक-टोक नहीं है। एक व्यापारी, उद्यमी या सेवा प्रदाता को भी कोई सामान खरीदने या सेवा प्राप्त करने में, स्वयं जीएसटी में निर्बाधित होने की कोई बाध्यता नहीं है। जीएसटी के तहत उन व्यवसायियों, उत्पादकों या सेवा प्रदाताओं को निबंधित होना है, जिनका सालाना टर्न ओवर 20 लाख से अधिक का है अथवा जिनके माल की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है। विभाग ने व्यापार एवं उद्योग वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

(साभार : दैनिक भास्कर, 22.7.2017)

ट्रेडर बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में सप्लाई नहीं कर सकते कारोबारी

- **मैं कपड़े का होलसेलर हूँ। बिना जीएसटी नंबर के दूसरे राज्यों में बिक्री कर सकता हूँ?**

नहीं। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप दूसरे राज्यों में सप्लाई नहीं कर सकते, आपका सालाना कारोबार चाहे जितना हो।

- **मेरा टर्नओवर 15 लाख रुपए है। जीएसटी में माइग्रेशन भी हो गया है। क्या मुझे हर महीने रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी?**

हाँ रेगुलर कैटेगरी में हैं तो हर माह रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कंपोजीशन में हैं तो हर तिमाही। जीएसटी में 20 लाख रुपए तक कारोबार वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। इसलिए आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। तब आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा।

- **कपड़े का सालाना 40 लाख का कारोबार है। होलसेलर 5% जीएसटी लेता है। मैं कस्टमर को 5% जीएसटी लगाकर बेचूंगा। मुझे वह 5% रिफंड होगा? होगा तो कैसे?**

होलसेलर से माल खरीदते वक्त आप जो टैक्स चुकाएंगे, वह क्रेडिट के रूप में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। बिक्री के आधार पर आप पर जो टैक्स की देनदारी बनेगी, उसमें से वह क्रेडिट कम हो जाएगा। मान लीजिए आप पर कुल टैक्स देनदारी 100 रुपए बनती है और आपके पास 80 रुपए क्रेडिट पड़ा है, तो आपको सिर्फ 20 रुपए टैक्स चुकाना है।

- **मैं बैंकों को अपनी सेवाएँ देता हूँ। जीएसटी नंबर ले रखा है, लेकिन सालाना बिजनेस 20 लाख से कम है। क्या मुझे टैक्स लेना और रिटर्न फाइल करना है?**

हाँ। आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसलिए आपको खरीदार से टैक्स लेकर जमा कराना पड़ेगा और रिटर्न भी फाइल करना होगा।

ध्यान रखें : टैक्स रेट और नियमों में कई शर्तें होती हैं। फैसला लेने से पहले अपने एक्सपर्ट की राय जरूर लें।

अपने सवालों का जवाब जानने के लिए नंबर 7030001040 पर मिस्ड कॉल करे.... **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.7.2017)**

50 हजार से अधिक के सामान लाने के लिए ई वे बिल जरूरी

- **17 टैक्स खत्म हो गए जीएसटी लागू होते ही**
- **150 देशों में जीएसटी की व्यवस्था लागू**

वाणिज्य कर विभाग के पटना पश्चिमी अंचल के सहायक आयुक्त पंकज कुमार प्रसाद ने बताया कि जीएसटी में अब 50 हजार से ऊपर के माल के परिवहन के लिए ई वे बिल रखना होगा। पहले यह सीमा 10 हजार थी।

उन्होंने बताया कि बिहार वैट अधिनियम के अधीन ऑनलाइन निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र डी 7, डी 8, डी 9 और डी 10 एक जुलाई से सृजित नहीं किए जा रहे हैं। इसकी जगह अब ई वे बिल निर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई है। जीएसटी काउंसिल ने ई वे बिल के लिए कोई खास फॉर्मेट जारी नहीं कर राज्यों को कहा है कि छह महीने तक खुद ई वे बिल जारी करें। इसको देखते हुए बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने करदेय मालों के साथ राज्य में परिवहन करने हेतु विभाग द्वारा नए प्रपत्र ई वे बिल 7, ई वे बिल 8, ई वे बिल 9 और ई वे बिल 10 अधिसूचित किया है। रजिस्टर्ड व्यवसायी ई वे बिल को वाणिज्य कर विभाग की साइट से पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से निकाल सकते हैं। नए व्यवसायी अपने जीएसटीन से ई वे बिल आईडी व पासवर्ड सृजित कर सकते हैं।

जानकारी : • राज्य के बाहर सामान भेजने के लिए अब ई वे बिल 7 निर्गत करना होगा • राज्य के भीतर सामान की सप्लाई के लिए ई वे बिल 8 होगा • 10 हजार के सामान लाने पर पहले ई वे बिल होता था जरूरी

ये ई वे बिल होंगे निर्गत : वाणिज्य कर अधिकारी अभिनव झा ने बताया कि बिहार से होकर राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल भेजने के लिए अब ई वे बिल 7 निर्गत करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर माल की सप्लाई के लिए ई वे बिल 8, बाहर के किसी राज्य से बिहार के भीतर माल लाने के लिए ई वे बिल 9 और बिहार से बाहर के राज्यों में माल के परिवहन के लिए अब ई वे बिल 10 निर्गत करना होगा।

जीएसटी के दायरे से बाहर : • पेट्रोल-डीजल, शराब, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है • खुले अनाज, गुड़ दूध और अंडे, नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ भी नई कर प्रणाली से बाहर हैं • बस, मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी कर से मुक्त • धार्मिक स्थलों की यात्राओं को भी नई कर प्रणाली से छूट • जम्मू-कश्मीर राज्य भी जीएसटी के दायरे में अभी शामिल नहीं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2017)

इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स को भी मिलेगा

नये कानून में कान्ट्रैक्टर और बिल्डर्स के लिए नया जीएसटी रेट लगा है। इसके पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में या बिल्डर्स के केस में तीन तरह का टैक्स लगता था। पहला केन्द्र सरकार सर्विस टैक्स लगाती थी। दूसरा राज्य सरकार वैट लगाती थी। तीसरा जमीन या फ्लैट के ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता था। नये कानून में विभिन्न टैक्स के बदले जीएसटी लगेगा और इस लगे हुए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्ट्रेक्टर और बिल्डर्स को मिलेगा। इस संबंध में विस्तुत जानकारी दे रहे हैं सीए मशींद्र मशी। उन्होंने बताया कि इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अब टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गयी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स जो भी सामान खरीदेंगे, उस पर उसका टैक्स का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स को अब हर सामान का बिल रखने और पंजीकृत सप्लायर से खरीदने की जरूरत होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 26.7.2017)

अपार्टमेंट में रखरखाव पर नहीं लगेगा जीएसटी

वित्त मंत्रालय ने कहा कि आवासीय समिति या रिहायशी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाएँ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से महंगी नहीं होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि पाँच हजार रुपये तक हर माह शुल्क लेने पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आवासीय समिति या आरडब्ल्यूए को इससे ज्यादा की शुल्क पर जीएसटी देना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.7.2017)

मोबाइल पर डाउनलोडेड ई-आधार दिखाकर कर सकते हैं रेल यात्रा

अब रेल यात्रा के दौरान पहचान के लिए यात्री अपने आधार कार्ड का डाउनलोडेड प्रति मोबाइल पर दिखा कर यात्रा कर सकते हैं। मोबाइल पर दिखाए गए आधार की प्रति भी आधार कार्ड की तरह ही मान्य होगा। इससे पहले ई टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रिंटेड आधार कार्ड दिखाना पड़ता था। सीपीआरओ राजेश कुमार ने कहा आरक्षित श्रेणियों में यात्री पहचान के लिए आधार कार्ड के अलावा 10 तरह के अन्य कार्ड भी दिखा सकेंगे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.7.2017)

पेंट्रीकार का खाना पसंद नहीं, तो ऑनलाइन बुक कराएं रेस्टोरेंट का खाना

सफर के दौरान खान-पान के लिए पेंट्रीकार के माध्यम से यात्री खाना, नाश्ता, चाय, कॉफी, स्नैक्स आदि खरीदते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी फूड नहीं मिलता है। इससे यात्री हमेशा खान-पान से संबंधित शिकायत करते रहते हैं। अब रेलवे प्रशासन ने आइआरसीटीसी के सहयोग से ऑनलाइन कैटरिंग व्यवस्था की है। ऑनलाइन रेस्टोरेंट व होटल का मनपसंद खाना यात्रियों को चयनित स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही बर्थ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्लीपर या एसी कोच के यात्री पेंट्रीकर के बदले रेस्टोरेंट या होटल का खाना ऑर्डर देना चाहते हैं, तो दो घंटे पहले खाने का ऑर्डर देना होगा। बुकिंग ऑर्डर डिलिवरी की व्यवस्था दानापुर रेलमंडल के पटना साहिब, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पटना जंकशन, पाटलिपुत्र जंकशन, दानापुर, आरा, बक्सर आदि स्टेशनों पर की गयी है। खाना बुक कराने को लेकर चार तरह की सुविधाएँ मुहैया करायी गयी हैं। इसमें रेल यात्री पीएनआर और डिलिवरी स्टेशन चयनित कर खाना ऑर्डर दे सकते हैं और ऑनलाइन व कैश ऑन डिलिवरी दोनों सुविधाएं दी गयी है।

ऐसे करें खाना बुक : • 1323 नंबर पर कॉल करके • फुड ऑन ट्रैक मोबाइल एप्स • ecatering.irctc.co.in • 139 नंबर पर पीएनआर एसएमएस।

(साभार : प्रभात खबर, 21.7.2017)

2019 तक दानापुर रेलमंडल में नहीं रहेगा मानवरहित समपार फाटक

दानापुर रेल मंडल के सभी मानवरहित समपार फाटकों को वर्ष 2019 तक पूर्णत: समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लिमिटेड हाइट सबवे निर्माण की प्रक्रिया तेजी से अपनाई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में दानापुर रेलमंडल में 15 लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

लिमिटेड हाइट सबवे की विशेषताएँ : एक लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण में मात्र 1.25 करोड़ की लागत आती है। इसके निर्माण की प्रक्रिया मात्र छह घंटे में ही पूरी कर ली जाती है, जिससे गाड़ियों का निर्बाध परिचालन ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। इसकी चौड़ाई लगभग पाँच मीटर तथा उंचाई चार मीटर होती है। पहले से निर्मित बॉक्स के आकार के ढांचे को निर्धारित खांचे में क्रेनों की मदद से स्थापित कर दिया जाता है। इसके लिए चौड़ाई, लंबाई तथा ऊँचाई लगभग क्रमश: 5 मीटर 1.67 मीटर वाले लगभग 8 खांचों की आवश्यकता होती है। इसे स्थापित करने के लिए 100 टन की क्षमता वाले दो क्रेनों की आवश्यकता होती है।

रूट बदलकर चलेगी मालदा टाउन-सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस : मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों संरक्षा कारणों से धनबाद-चन्द्रपुरा रेलखंड को बंद कर दिया गया था। इस कारण इस रूट से होकर मालदा टाउन और सूरत के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 13425/13426 मालदा टाउन-सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का परिचालन रद्द कर दिया गया था। पूमरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब गाड़ी संख्या 13425/13426 मालदा टाउन-सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को आसनसोल-भोजुडीह-जमुनिया टांड-चन्द्रपुरा-बोकारो स्टील सिटी के रास्ते चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) मालदा टाउन से 29 जुलाई से जबकि सूरत से 31 जुलाई से परिवर्तित मार्ग से चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी से समय एवं ठहराव में मालदा टाउन और दुर्गापुर एवं राजाबेरा और राउरकेला के बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 21.7.2017)**

भारतीय रेलवे ने चलायी दुनिया की पहली सोलर एनर्जी ट्रेन

विश्व का पहली सोलर एनर्जी डीइएमयू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट) ट्रेन चलाने का गौरव भारतीय रेलवे को मिला है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को ट्रेन को हरी झंडी दिखायी। ये दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम (पूर्व गुड़गाँव) के फारुख नगर तक चलेगी। सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन के लिए लायी गयी ट्रेन में इंजन के अलावा सबकुछ सोलर एनर्जी से चल रहा है। रेलवे बोर्ड के रोलिंग ट्रैफिक मेंबर, रवीन्द्र गुप्ता ने कहा कि सफदगंज रेलवे स्टेशन से चलनेवाली ट्रेन के हर कोच में 16 सोलर पैनल लगे हैं। ये पैनल दिन भर में 20 सोलर यूनिट बिजली बनायेंगे, जो ट्रेन की बैट्रियों में स्टोर होगी। सोलर ट्रेन के हर कोच में 300 वॉट के 16 सोलर पैनल लगाये गये हैं।

दिल्ली से गुड़गांव तक चली ट्रेन : • 1,000 लीटर डीजल की बचत होगी, इससे सालाना नौ टन कार्बन उत्सर्जन होगा • रुपया 13.54 करोड़ ट्रेन की कुल लागत, हर पैसेंजर कोच बनाने में एक करोड़, मोटर कोच बनाने में 2.5 करोड़ खर्च हुए • रुपया 672 करोड़ सालाना की बचत होगी • सोलर ट्रेन के हर कोच से दो लाख रुपये महीने का डीजल भी बचेगा।

दो दिनों का बैकअप : इससे 28 पंखे और 20 ट्यूबलाइट जल सकेंगी। स्टोर सोलर बिजली से ट्रेन का काम दो दिन तक चल सकता है। आपात स्थिति में कोच का लोड अपने आप डीजल एनर्जी पे शिफ्ट हो जायेगा। ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बनी है। इस 6 कोच वाले रैक पर दिल्ली के शकूरबस्ती वर्कशॉप में सौर पैनलों लगाये गये हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 15.7.2017)**

बिहार के कई शहर जुड़ेंगे विमान सेवा से

बिहार के कई शहर विमान सेवा से जुड़ेंगे। इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू की उपस्थिति में अहम बैठक हुई। साथ-ही-साथ क्षेत्रीय संपर्कता उड़ान पर केन्द्र और बिहार सरकार के बीच करार भी हुआ।

मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में हुई बैठक में पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, रक्सौल, वाल्मिकीनगर, मुजफ्फरपुर आदि शहरों को विमान सेवा से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्षेत्रीय विमान सेवा के हर पहलू पर चर्चा हुई। राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए खुशी-खुशी रियायतें दी जाएंगी। बिहार में विकास हो रहा है। बिहार से नियमित विमान सेवाएं होनी चाहिए, जिससे राज्यभर के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए जो भी संभव होगा, सहयोग दिया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.7.2017)

जीएसटी से बिहार को मिलेगी सस्ती बिजली

आने वाले दिनों में बिहार को बिजली सस्ती मिल सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कोयले पर टैक्स में कटौती हुई है। इस कारण बिहार को निकट भविष्य में प्रति युनिट पाँच से दस पैसे सस्ती बिजली मिल सकती है।

दरअसल जीएसटी के पहले कोयले पर लगभग 12 फीसदी कर की वसूली हो रही थी। जीएसटी में इसे कम कर पाँच फीसदी पर लाया गया है। पहले से सात फीसदी टैक्स कम होने के कारण अब विभिन्न कोयला कंपनियों से बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों को पहले की तुलना में सस्ती दर पर कोयला मिलेगी।

बीते दिनों ऊर्जा एवं वाणिज्यकर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिजली कंपनी को इस बाबत आकलन करने का निर्देश दिया था। मंत्री के निर्देश पर बिजली कंपनी ने जीएसटी में कोयले के करों की कटौती का आकलन किया तो पाया कि इससे करोड़ों की बचन होगी जिसका लाभ देर-सबेर उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

बिजली उपलब्धता : वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत उपलब्धता 14905 मिलियन यूनिट रही। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिजली कंपनी ने 30740 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल की तुलना में यह 23 फीसदी अधिक है।

कंपनी का गणित : वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिजली कंपनी को 13,876.16 करोड़ खर्च के लिए चाहिए। आकलन के अनुसार 8,581.53 करोड़ मौजूदा बिजली दर से आने का अनुमान है। वहीं 2952 करोड़ इस साल सरकार अनुदान दे रही है। सरकार से अनुदान मिलने के बावजूद कंपनी को मासिक 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। कोयला सस्ता होने पर अगर कंपनी को 700 करोड़ बचे तो कंपनी को सालाना मात्र 500 करोड़ ही घाटा होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 21.7.2017)

माल और सेवा कर

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जीएसटी से संबधित 50 प्रश्नों की समीक्षा कर पूछे गए प्रश्नों के जवाब

01. यदि मैं जीएसटी में अपंजीकृत सप्लायर से कच्चा माल खरीदता हूँ तो क्या मुझे आरसीएम (रिवर्स जार्ज व्यवस्था) के तहत जीएसटी देना होगा और क्या में उसका आईटीसी ले सकता हूँ?

उ०. हाँ, आपको विपरीत प्रभार (आरसीएम) के तहत जीएसटी देना होगा। यदि आप की पात्रता हैं तो उस दिये गये जीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं।

2. क्या एक अपंजीकृत डीलर किसी अन्य राज्य में माल की सप्लाई कर सकता है यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रु. से कम है?

उ०. नहीं। चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, प्रदायकर्ता (सप्लायर) अंतरराज्यिक सप्लाई करने के लिए पंजीकरण लेने का उत्तरदायी है।

3. मौजूदा करदाता यदि किसी दूसरे राज्य में ब्रांच ऑफिस का पंजीकरण लेना चाहता है तो वह नये पंजीकरण के तहत आयेगा या मौजूदा करदाता पंजीकरण के तहत आयेगा?

उ०. हर राज्य में अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता है।

4. यदि केवल छूट प्राप्त (निल रेटेड) माल की अंतरराज्यिक सप्लाई करनी हो तो क्या पंजीकरण आवश्यक है?

उ०. यदि केवल छूट प्राप्त (निल रेटेड) माल की सप्लाई करनी हो तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 देखें।

5. क्या किसी फ्रेंचाइज़र कंपनी को हर उस राज्य में पंजीकरण लेना आवश्यक है जहाँ उसके आउटलेट स्थित हैं?

उ०. नहीं, एक फ्रेंचाइज़र कंपनी को उस राज्य में पंजीकरण लेना आवश्यक नहीं है जहाँ उसके केवल फ्रेंचाइजी स्थित हैं।

6. यदि मैं आज नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो क्या मुझे जीएसटी के लिए आवेदन करने से पहले टीआईएन लेना होगा अथवा मैं सीधे जीएसटी का पंजीकरण ले सकता हूँ?

उ०. आप जीएसटी पंजीकरण सीधे www.gst. gov.in पर आवेदन जमा करके ले सकते हैं।

7. एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ छूट प्राप्त उत्पादों में डील करती है तथा उसके पास जीएसटी पंजीकरण है तो क्या उसे रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उ०. यदि आप पंजीकृत है तो आप के लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। यदि आप केवल छूट प्राप्त उत्पादों में डील करते हैं तो आप पंजीकरण को रद्द करवा सकते हैं।

8. मेरी सभी आउटवर्ड सप्लाईज़ निर्यात सेवाएँ हैं। क्या इस स्थिति में पंजीकरण लेना अनिवार्य है?

उ०. हाँ। यद्यपि निर्यात जीरो रेटेड है तो भी रिफंड का दावा करने हेतु जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है।

9. यदि एक व्यक्ति एक पैन नम्बर के साथ दो विभिन्न कंपनियां दो विभिन्न नामों से चला रहा है तो क्या वह दो जीएसटी पंजीकरण ले सकता है?

उ०. एक पैन धारक प्रत्येक राज्य में एक ही पंजीकरण ले सकता है। किन्तु उसके पास विभिन्न कारोबार शीर्षका (बिजनेस वर्टीकल्स) के लिए अलग अलग पंजीकरण लेने का विकल्प है।

10. क्या जॉब वर्कर को पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? क्या कंपोजीशन स्कीम जॉब वर्कर को भी उपलब्ध है?

उ०. सकल टर्नओवर की सीमा से अधिक कराधेय सप्लाई करने वाले जॉब वर्कर को पंजीकरण लेना अनिवार्य है। कंपोजीशन स्कीम जॉब वर्कर के लिए उपलब्ध नहीं है। वे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 143 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

11. मैं एक सेवा प्रदाता हूँ तथा एक ही राज्य में मेरा टर्नओवर 50 लाख रू है। क्या मैं कंपोजीशन स्कीम के अयोग्य हूँ?

उ०. रेस्तरां/ केटरर के अलावा कोई भी सेवा प्रदाता कंपोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता।

12. मैं एक आइसक्रीम निर्माता हूँ जिसकी बिक्री केवल एक ही राज्य में है। क्या मैं कंपोजीशन का विकल्प चुन सकता हूँ?

उ०. नहीं। निम्नलिखित श्रेणियों के माल जैसे कि • आइस क्रीम और अन्य खाने योग्य आइस चाहे कोको युक्त हो या नहीं • पान मसाला • तम्बाकू और तम्बाकू के विनिर्मित विकल्प के निर्माताओं को कंपोजीशन स्कीम का लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

13. यदि मैं कंपोजीशन स्कीम के तरह पंजीकरण लेता हूँ। तो क्या मैं भविष्य में इससे बाहर आ सकता हूँ? यदि हाँ, तो मेरे स्टॉक का क्या होगा?

उ०. कंपोजीशन के लाभार्थी किसी भी समय सामान्य कर स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। वे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18(1) (ग) के तहत स्कीम बदलने की तारीख को मौजूद स्टॉक पर आईटीसी लेने के योग्य होंगे ।

14. मैंने अभी साधारण करदाता की तरह पंजीकरण कराया है। क्या मैं बाद में कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले सकता हूँ?

उ०. आप अगले वित्त वर्ष की शुरूआत से पहले कंपोजीशन स्कीम को चुनने का विकल्प दे सकते हैं। जिससे अगले वित्त वर्ष की शुरूआत से आप कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे। यह ध्यान रखें कि वित्त वर्ष के मध्य में कंपोजीशन स्कीम को अपनाया नहीं जा सकता।

15. मैं एक कंपोजीशन डीलर के रूप मे पंजीकृत हूँ। यदि मेरा टर्नओवर 75 लाख रु से ज्यादा हो जाता है तो क्या मैं बचे हुए वित्त वर्ष में भी इस स्कीम का लाभ ले सकता हूँ?

उ०. नहीं, जिस दिन टर्नओवर 75 लाख रु. को पार कर जाता है उस दिन से करदाता कंपोजीशन स्कीम के लिए अयोग्य हो जाता है।

16. यदि मैं पहले पंजीकृत था परन्तु मुझे अब जीएसटी के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं हैं तो तेरे अंतिम आईडी तथा संचित आईटीसी का क्या होगा?

उ०. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (1) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 24 (4) के तहत पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करना होगा। पंजीकरण रद्द होने की तिथि पर मौजूदा स्टॉक पर लिये गये आईटीसी की गणना करके उसे जमा करना होगा।

17. मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर में पंजीकृत था, किन्तु स्थानातंरित न हो पाने की स्थिति में नया पंजीकरण ले लिया। क्या मैं ट्रांजीशनल क्रेडिट के लिए योग्य हूँ?

उ०. नए पंजीकरण के आवेदन में, यदि आपने पिछले केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ अथवा सेवा कर का संदर्भ दिया है तो आप सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के तहत ट्रांजीशनल क्रेडिट के योग्य हैं।

18. मैं स्थानांतरित हो चुका हूँ तथा मुझे अंतिम आईडी मिल चुकी है परन्तु जीएसटीआईएन नहीं मिला है। क्या मैं माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई कर सकता हूँ?

उ०. अंतिम आईडी (पीआईडी) ही जीएसटीआईएन है। आप इनवाइस पर पीआईडी को जीएसटीआईएन के रूप में दर्शा कर माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई कर सकते हैं।

19. मुझे एआरएन प्राप्त नहीं हुआ है या हुआ है, परन्तु जीएसटीआईएन प्राप्त नहीं हुआ है तब मैं माल अथवा सेवा अथवा दोनों की सप्लाई किस प्रकार कर सकता हूँ?

उ०. आप जीएसटीआईएन या / और एआरएन दर्शाये बिना माल अथवा सेवा अथवा दोनों की सप्लाई 'बिल ऑफ सप्लाई' के जरिये कर सकते हैं। जीएसटीआईएन प्राप्त होने के पश्चात् आप को जीएसटीआईएन दर्शाते हुए संशोधित इनवाइस जारी करना होगा। आप को यह सप्लाई अपने रिटर्न में दर्शानी होगी तथा इस पर कर भी अदा करना होगा।

20. मैं दिल्ली स्थित छूट प्राप्त माल का सप्लायर हूँ तथा कच्चा माल केरल से खरीदता हूँ। केरल स्थित मेरा सप्लायर मुझे दिल्ली में अंतरराज्यिक माल की खरीद हेतु पंजीकरण लेने के लिए जोर दे रहा है। क्या वह सही है?

उ०. नहीं, यदि आप शत प्रतिशत छूट प्राप्त सप्लाई में डील कर रहे हैं तो आप जीएसटी में पंजीकरण के उत्तरदायी नहीं हैं। अंतरराज्यिक खरीद के लिए जीएसटी पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

21. क्या छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए डीलरों / थोक विक्रेताओं से खरीद करने हेतु जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है?

उ०. जीएसटी कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

ट्रांजिशन

22. जीएसटी लागू होने के बाद, क्या ईओयू योजना जारी रहेगी या नहीं?

उ०. जीएसटी में ईओयू के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यदि वे किसी अन्य

उद्देश्य के लिए मौजूद है, तो इसके लिए एफटीपी को देखा जा सकता है।

23. मैं अब तक एक्साइज में पंजीकृत नहीं था और अब कर दर की 18% के स्लैब में हूँ। अगर मेरे पास इनवाइस नहीं है तो क्या मैं स्टॉक का क्रेडिट ले सकता हूँ?

उ०. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के प्रावधानों के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 (4) के अधीन आपको स्टॉक पर डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा, यद्यपि आपके पास उत्पाद शुल्क भुगतान के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

24. मुझे पहले पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं एसएसआई का लाभ ले रहा था और मैने पंजीकरण नहीं कराया; मै अब अपने पास उपलब्ध स्टॉक का क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ?

उ०. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 (4) के अनुसार इनपुट पर शुल्क का भुगतान दर्शाने वाले दस्तावेज के आधार पर क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है।

25. ऐसे कपड़ा व्यापारी या निर्माता, जिन्होंने इनपुट स्टॉक पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है। लेकिन जो अब अंतिम बिक्री पर जीएसटी लगा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा?

उ०. ऐसे स्टॉक, जो उत्पाद शुल्क से मुक्त है या छूट प्राप्त (निल रेटेड) है, पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। कृपया सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 117(4) देखें।

26. क्या कोई मसाला निर्माता 30 जून, 2017 को स्टॉक में मौजूद पैकिंग सामग्री पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आईटीसी ले सकता है?

उ०. यदि उसके पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान दर्शाने वाले दस्तावेज हैं, तो उसे उसके स्टॉक पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा क्रेडिट मिलेगा।

27. मैंने एक यात्रा के लिए होटल में अक्टूबर की बुकिंग की है। इनवाइस पहले ही बन गया है। यदि भुगतान 21 जुलाई को किया जाए तो क्या मुझे जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

उ०. अगर इनवाइस 1 जुलाई 2017 से पहले बना है और भुगतान 1 जुलाई 2017 से पहले किया गया है तो जीएसटी लागू नहीं होगा।

28. यदि किराया नियत तिथि से पहले प्राप्त हो गया है और व्यक्ति सेवा कर के लिए पात्र नहीं है तो क्या आरसीएम दायित्व उत्पन्न होता है?

उ०. जीएसटी कानून के तहत विपरीत प्रभार (आरसीएम) के आधार पर देयता 1 जुलाई 2017 के बाद ही उत्पन्न होगी।

29. क्या जीएसटी के तहत इनवाइस का कोई प्रारूप है? यदि हाँ, तो कृपया उसका लिंक प्रदान करें।

उ०. इनवाइस का कोई विशेष प्रारूप नहीं है। सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 में शामिल किए जाने वाले विवरणों का उल्लेख है।

30. क्या 1 जुलाई के बाद इनवोंइस संख्या का क्रम बदल जाएगा या हम उसी क्रम को जारी रख सकते हैं?

उ०. यदि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 में निर्धारित शर्तें पूरी की जाती है, तो पहले वाले क्रम को जारी रखा जा सकता है।

31. क्या मौजूदा यूटी-1 बांड पर्याप्त होगा? क्या मौजूदा एआरई-1 फॉर्म लागू रहेगा?

उ०. सर्कुलर सं. 4 / 4/ 2017- जीएसटी दिनांक 07.07.2017 में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा बांड / एलयूटी 31 जुलाई, 2017 तक वैध होंगे जिसके बाद बांड / एलयूटी को नए निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा। बांड और एलयूटी के नए प्रारूप सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 96 (क) के तहत निर्धारित किए गए हैं। उन वस्तुओं को छोड़कर जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लागू है, एआरई - 1 प्रक्रिया समाप्त की जा रही है।

32. क्या हम कंपनी के उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों, सौर पैनलों जैसे पूंजीगत (कैपिटल) व्यय पर आईटीसी प्राप्त कर सकते हैं?

उ०. आमतौर पर पूंजीगत माल पर आईटीसी उपलब्ध है अगर उसको कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि आप ड्राइविंग प्रशिक्षण, या कारों की आपूर्ति के व्यवसाय में नहीं हैं तो कारों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। जिन वस्तुओं पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 में उपलब्ध है।

33. यदि मेरा कारोबार 1.5 करोड़ रु से कम है, तो क्या मुझे बिल पर एचएसएन कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता है?

उ०. 1.5 करोड़ रु तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए बिल पर एचएसएन कोड निर्दिष्ट करना ऐच्छिक है।

34. हम एसाइज में पंजीकृत डीलर हैं और हमारे पास 1 वर्ष से अधिक पुराना स्टॉक है, जिस पर एक्साइज का भुगतान किया गया है। क्या हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं?

उ०. आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दायर अपने अंतिम रिटर्न में दिखाए गए सेनवैट क्रेडिट की अंतिम बकाया राशि को आगे ले जाने के हकदार होंगे।

35. मैं पहले पंजीकृत नहीं था अब मैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने उत्पाद शुल्क के भुगतान वाले स्टॉक पर आईटीसी प्राप्त कर सकता हूँ?

उ०. कंपोजिशन स्कीम के तहत आईटीसी की पात्रता नहीं है। आपके आईटीसी की शेष राशि रद्द (लैप्स) हो जाएगी।

36. मेरे पास एक्साइज पंजीकरण है और अब मैं कंपोजिशन स्कीम का प्रयोग करके माइग्रेट करना चाहता हूँ। आईटीसी का क्या होगा?

उ०. कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आप आईटीसी नहीं ले सकते। आपके बैलेंस में बची हुई आईटीसी रद्द हो जायेगी।

37. मैंने जून 2017 में एक सेवा के लिए भुगतान किया था लेकिन अगस्त 2017 में सेवा प्राप्त होने की संभावना है। क्या मैं इसके लिए आईटीसी का लाभ उठा सकता हूँ?

उ०. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (5) में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि होने पर इस तरह के इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट की पात्रता होगी।

38. एक्साइज / सेवा कर के तहत केन्द्रीयकृत पंजीकरण वाले करदाताओं के माइग्रेशन के बाद उनके सेनवैट का क्या होगा?

उ०. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (8) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 (2) के अनुसार, 30.6.2017 तक की अवधि के लिए दायर रिटर्न में उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट सीजीएसटी क्रेडिट के रूप में स्वीकृत होगा।

39. ई-वे बिल नियमों को सूचित किए जाने तक माल की अंतरराज्यिक सप्लाई के मामले में कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाना चाहिए?

उ०. कृपया सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों का संदर्भ लें। माल की सप्लाई के लिए इनवाइस की तीसरी (ट्रिप्लीकेट) प्रति और सेवाओं की सप्लाई के लिए इनवाइस की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति का उपयोग किया जा सकता है।

40. अगर मैं यूटीलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता हूँ, तो क्या मैं जीएसटी का भुगतान दो बार करूंगा; एक बार सेवा के लिए और दूसरी बार क्रेडिट कार्ड बिल के लिए ?

उ०. नहीं, संपूर्ण क्रेडिट कार्ड बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा; यह केवल क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा लगाए गए शुल्क / कमीशन पर लगाया जाता है।

41. हम वर्तमान में डिलिवरी चालान पर माल का परिवहन करते हैं और महीने के अंत में एक बिल बनाते हैं। क्या जीएसटी के अंतर्गत भी ऐसा किया जा सकता है?

उ०. हर सप्लाई के लिए एक इनवाइस जारी करना आवश्यक है। सप्लाई के अलावा माल के किसी भी अन्य आवागमन के लिए (जैसा कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 55 में निर्दिष्ट है) डिलीवरी चालान जारी किया जा सकता है।

42. क्या कुछ रेस्तरां द्वारा लगाये गये सर्विस चार्ज को एक सप्लाई माना जाएगा और इस पर कर देय होगा?

उ०. जीएसटी के अंतर्गत माल या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी भी अन्य सप्लाई के प्रतिफल की तरह सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी देय होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सर्विस चार्ज वैधानिक प्रभार नहीं है तथा यह सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है।

43. 1 जुलाई, 2017 को मेरे पास उपलब्ध स्टॉक का क्या करना है? क्या मुझे उस पर जीएसटी चार्ज करने की आवश्यकता है?

उ०. हाँ, ऐसे स्टॉक पर जीएसटी कराधेय है, लेकिन यदि उस माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट उपलब्ध है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं।

44. मैं एक लघु निर्माता हूँ जो एक ही क्षेत्र में स्थित दो निर्माण इकाइयों को साइकिल के पूर्जे सप्लाई करता हूँ। मैं हर सप्लाई के लिए, एक इनवाइस बनाता हूँ और कार्टेज और लोडिंग हेतु 500 रुपये लेता हूँ। कार्टेज और लोडिंग के खर्चों पर कर की दर क्या होगी?

उ०. यह एक कंपोज़िट सप्लाई है जहाँ मुख्य सप्लाई (माल) कार्टेज / अनलोडिंग / परिवहन व्यय के बिना नहीं की जा सकती है। इसलिए, कार्टेज और लोडिंग के खर्चों पर लागू जीएसटी की दर मूल सप्लाई, अर्थात साइकिल के पुर्जों, के समान ही होगी जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत प्रावधान है।

45. मैं एक रेस्तरां चलाता हूँ जहाँ मैं शराब और भोजन आदि परोसता हूँ। मैं अपने बिल कैसे बनाऊँ? किस पर जीएसटी लगेगा और किस पर वैट लगेगा?

उ०. चूँकि आप कराधेय और गैर-कराधेय दोनों सप्लाई प्रदान कर रहे हैं तो गैर-कराधेय सप्लाई (जो मानव उपभोग के लिए शराब है) पर वैट चार्ज करेंगे और अन्य सभी कराधेय सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करेगें।

46. अगर मैं एक स्टोर से कुछ सब्जियाँ और कोला की एक बोतल खरीदता हूँ जहाँ उसमें से एक कर मुक्त है और दूसरे पर 40% जीएसटी लगना है। क्या मुझसे पूरी राशि पर 40% का कर लिया जाएगा?

उ०. नहीं, ये दो अलग-अलग कीमतों पर दो अलग सप्लाई हैं। एक ही बिल पर खरीदे जाने पर भी उन पर लागू जीएसटी दरों के अनुसार ही कर लिया जाएगा।

47. मैं एक गहने की दुकान में जाता हूँ और 10 ग्राम सोना बेच कर बदले में 20 ग्राम सोने का सेट खरीदता हूँ। जीएसटी 10 ग्राम पर चार्ज किया जाएगा या 20 ग्राम पर?

उ०. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27 (क) के अनुसार ऐसे मामलों में कराधेय प्रदाय का मूल्य पूरे लेनदेन का खुला बाजार मूल्य (ओपन मार्केट वैल्यू) होगा, इसलिए जीएसटी पूरे 20 ग्राम पर चार्ज किया जाएगा।

48. एक कंपोजिशन डीलर के रूप में, अगर मैं एक अपंजीकृत व्यक्ति से माल खरीदता हूँ तो क्या मुझे सेल्फ-इन्वाइस जारी करना होगा?

उ०. हाँ, एक कंपोजिशन डीलर सेल्फ-इनवॉइस जारी करेगा क्योंकि उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। वह आईटीसी के लिए भी पात्र नहीं होगा।

49. क्या मैं अपनी आईजीएसटी का संदाय (पेमेंट) करने के लिए अपने सीजीएसटी / एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग कर सकता हूँ?

उ०. सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी का संदाय करने के लिए किया जा सकता है। शेष राशि का उपयोग आईजीएसटी के संदाय के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग एसजीएसटी के संदाय के लिए नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी और आईजीएसटी (इसी क्रम में) के संदाय के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग सीजीएसटी के संदाय के लिए नहीं किया जा सकता। कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 49 देखें।

50. क्या एक ही फर्म द्वारा एक राज्य में दिए गए कर का उपयोग किसी अन्य राज्य में आईटीसी के रूप में किया जा सकता है?

उ०. नहीं, अगर एक फर्म एक से अधिक राज्यों में पंजीकृत है, तो प्रत्येक ऐसे पंजीकरण को एक अलग पंजीकृत व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। दो अलग-अलग पंजीकृत व्यक्तियों के पास उपलब्ध क्रेडिट का परस्पर उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(साभार : प्रभात खबर, 21.7.2017)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

सभी करदाताओं के लिए आवश्यक सूचना

GST के अंतर्गत मालों के परिवहन की नई सरल व्यवस्था

- VAT के अंतर्गत रू. 10, 000/- मूल्य के ऊपर के माल राज्य के बाहर से मंगवाने एवं राज्य के बाहर भेजने के लिये बिहार ई-वे बिल (सुविधा) सृजित करना अनिवार्य था, जिसे अब रु. 50,000/- कर दिया गया है।
- राज्य के अन्तर्गत पूर्व की भाँति रुपये 2, 00, 000 से अधिक मूल्य के मालों के परिवहन हेतु बिहार ई-वे बिल सृजित करना होगा।
- सभी करदाता चाहे पुराने अधिनियम के अधीन निर्बंधित हो अथवा जिन्होंने जी.एस.टी. में नया निबंधन लिया हो, उनके द्वारा www.biharcommercialtax.gov.in पर लॉग-इन कर बिहार ई-वे बिल सृजित करना होगा। पुराने करदाता अपने पुराने आई. डी. एवं पासवर्ड से ई-वे बिल बनायेंगे जबकि नये करदाताओं द्वारा सर्वप्रथम निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

वाणिज्य-कर का website खोलें। Homepage में e-services दिखाई देगा। e-services के अंतर्गत Bihar e-way bill पर click करें। इसके बाद "Portal Sign-up for Bihar e-way bill having GSTIN and no. VAT TIN" click करें। अब वांछित सूचनाएँ प्रविष्ट कर Password प्राप्त करें। तत्पश्चात e-way bill अपने User name जो कि आपका GSTIN No. है तथा Password जो आपने प्राप्त किया है, के द्वारा e-way bill सृजित करें।

नोट :- वैसे करदाता जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग के माध्यम से GST के अंतर्गत पंजीयन कराये हैं, उन्हें Bihar e- way bill प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम वाणिज्य-कर के स्थानीय अंचल में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना दाखिल करनी होगी। इस सूचना को अंचल प्रभारी, मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि उनके विवरण विभागीय डाटाबेस में सम्मिलित हो सके। तत्पश्चात करदाता उपर्युक्त प्रक्रिया अपना कर e-way bill प्राप्त कर सकेंगे।

(साभारः दैनिक भास्कर, 28.07.2017) **आयुक्त-सह-प्रधान सचिव**

ट्रेडर जी.एस.टी. संबंधित सवाल-जवाब

- **मैं रिटेलर हूँ। सालाना बिक्री 50 लाख रुपए है। मेरे लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी-कंपोजीशन या जनरल?**

कंपोजीशन में एक बड़ी सहूलियत यह है कि इसमें कंप्लायंस कम है। जनरल में हर महीने, जबकि कंपोजीशन में हर तिमाही रिटर्न फाइल करना है। इनवॉयस की डिटेल भी नहीं देनी। लेकिन इसमें आप न तो इनपुट क्लेम कर सकते हैं और न किसी से टैक्स ले सकते हैं।

- **मेरे पास इंटर-स्टेट परचेज का पुराना स्टॉक है। कंपोजीशन में जा सकता हूँ?**

नहीं, दूसरे राज्यों से खरीदा गया माल है तो कंपोजीशन का विकल्प नहीं चुन सकते।

- **कस्टम क्लियरिंग एजेंट को सारी जानकारी देने के बावजूद इनवॉयस पर मेरा जीएसटी नंबर नहीं लिखा। इनपुट कैसे मिलेगा?**

इनपुट क्रेडिट लेने के लिए इनवॉयस पर आपका जीएसटीआईएन होना जरूरी है।

- **मैं कंपोजीशन का विकल्प चुनना चाहता हूँ। इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकता हूँ? सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है।**
- **ऑफिस के लिए फर्नीचर, मशीन आदि खरीदा है। क्या इसका इनपुट क्रेडिट और बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ?**

आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।

- **मेरा इमिटेशन ज्वैलरी का बिजनेस है। इनपुट टैक्स ज्यादा, आउटपुट कम है। क्या मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा?**

हाँ आप पर जो भी टैक्स देनदारी बनती है, उसके भुगतान में इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- **ऑफिस में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। उन पर इनपुट मिलेगा?**

हाँ। परचेजिंग पर आप जो भी टैक्स चुकाते हैं, उसका इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.07.2017)

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org